22/5/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उभय पक्ष उ.प.न। प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्ण- अलग से शामिल किया गया। मूल पत्र अभिलेखागार से तलब हो पत्रावली नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/428

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

तारनाथ बनाम बाघनाथ

किस्म मुकदमाः–आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रकरण संख्याः–166/2025 GCMS:- 2025/428

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.05.2026	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी बाघनाथ ने इस न्यायालय में दिनांक 20.06.2022 को वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 1 एचडब्लयुडी खाता नं0 42/57 प0न0 233/51 (46) में कि0न0 3/1 ता 8, 14 ता 17, 25/2 = 2.758 है0, प0न0 233/59 (45) कि0न0 1/1 ता 2/2, 9 ता 12, 19 ता 21/1 = 2.252 है0, प0न0 234/9 (119) कि0न0 5/1 ता 6/2, 15/1, 15/2 = 0.759 है0, प0न0 34/17 (118) कि0न0 13 ता 17 = 1.265 है0 कुल 7.034 है0 भूमि खातेदारी हैं। प्रार्थी, अप्रार्थी का भाई हैं। तथा जैर वाद रकबा आबादी भूमि के चिपता हैं तथा प्रार्थी का मकान अप्रार्थी के रकबे के चिपते होने के कारण अप्रार्थी की खातेदारी भूमि प0न0 234/17 (118) कि0न0 15–16 पर बाड़बदी कर काबिज हो गया हैं। इसलिये वादपत्र स्वीकार कर प्रार्थी को बेदखल किया जावें। जो कि प्र0सं0 166/2022 पर दर्ज किया जाकर प्रार्थी के पीठ पिछे, प्रार्थी को बिना सुने एकतरफा तौर पर दिनांक 15.04.2025 को निर्णित कर प्रार्थी को बेदखल करने की डिक्री जारी की जा चुकी हैं। जो कि काबिल निरस्ती के हैं। प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.04.2025 शामिल पत्रावली हैं। जैर प्रकरण सं0 166/2022 में प्रार्थी को सम्यक रूप से तामिल नही हुई हैं। प्रार्थी एक अनपढ़ काश्तकार हैं। जिसका पेशा खेती हैं। प्रार्थी के खिलाफ एकपक्षीय आदेश में जिस नोटिस का उल्लेख किया गया हैं। उसके साथ वादपत्र की प्रतिलिपि संलग्न नही की गई हैं। जो कि नोटिस के अवलोकन से साबित हैं। तामिल कुन्निदा द्वारा प्रार्थी की अनपढ दशा का फायदा उठाकर उसके हस्ताक्षर करवा लिये जबकि वादपत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी को कोई सूचना नही दी गई हैं। प्रार्थी द्वारा नोटिस किस लिये दिया गया हैं पूछने पर तामिल कुन्निदा द्वारा कोई सन्तोषजनक जबाब नही दिया गया हैं। आदेश 5 के नियम 1 के उपनियम 2 के तहत समन के साथ दावे की एक प्रति होना आवश्यक हैं। ताकि चल रहे प्रकरण की जानकारी प्रार्थी को दावा की प्रति से पता चल सकें। इसके अलावा आदेश 5 नियम 10 की भी पालना नही हुई हैं। इसलिये प्रार्थी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश सम्यक तामिल के अभाव में किये गये हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं। अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनो का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को सम्यक रूप से तामिल करवाई गई हैं। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह साबित हैं कि समन के साथ कोई वाद पत्र की प्रति भेजी गई हैं। विधि का सिद्वान्त हैं कि किसी भी प्रभावित पक्षकार को सुने बिना निर्णय नही किया जाना चाहिये। वादपत्र में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2025 की पालना अभी तक नही हुई हैं। वाद पत्र बेदखली का हैं। जिससे प्रार्थी प्रभावित व हितबद्व पक्षकार हैं। इसलिये प्रकरण सं0 166/2022 में आदेश 5 के नियम 1 के उपनियम 2 व आदेश 5 नियम 10 की सम्यक रूप से पालना नही होने के कारण हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जाता हैं। प्रकरण सं0 166/2022 अनवान बाघनाथ बनाम तारनाथ में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.2025 एवं उसके आधार पर की गई तमाम कार्यवाही निरस्त की जाती हैं। मूल पत्रावली तलब की जाकर पुनः नये सिरे से दोनो पक्षो के लिखित कथन एवं साक्ष्य लिये जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर फरमाई जावें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) सहायक अधिकारी सूरतगढ़	